Organisation of the Planning Commission. In addition, monitoring and evaluation of the health and nutrition aspects of the scheme, is being done by the medical colleges attached to the projects under the overall guidance of the All India Institute of Medical Sciences.

(b) Continuous monitoring has shown that the impact of the scheme has been good. However, the overall impact of the scheme would be known only when the final evaluation reports are received.

गुजरात सरकार की चीनी के कोटे में वृद्धि करने की मांग

3512. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या गुजरात सरकार ने चीनी के कोटे मे वृद्धि करने की मांग की है, यदि हा, तो किस तारीख से और कितनी मात्रा मे वृद्धि करने की मांग की है ,

(ख) इस सम्बन्ध मे केन्द्रीय सरकार का निर्णय क्या है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश का चीनी का कोटा 10870 टन से बढ़ा कर 20864 टन कर दिया गया है, और

(घ) गुजरात का चीनी का कोटा यद्यपि वर्तमान कोटा आवश्यकता से कम है, न बढाये जाने के क्या कारण है और क्या सरकार उसमे तत्काल वृद्धि करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हा । गुजरात सरकार ने दिसम्बर, 1977 से आगे अपना लेवी चीनी का मासिक कोटा बढा कर 634.5 मीटरी टन करने के लिए कहा था ।

(ख) से (घ). राज्यों की जनसंख्या के आधार पर लेवी चीनी के मासिक कोटों के आवंटन के लिए 27-10-1977 को लिए गए निर्णय के अनुसार, राज्यवार कोटे पुन: निर्धारित किए गए थे ताकि दिसम्बर, 1977 से 1-4-1978 को प्रायोजित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति 425 ग्राम चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके । राज्य सरकार का पहले का कोटा 14,031 मीटरी टन था जिससे कथित जनसख्या के लिए 447 ग्राम प्रति व्यक्ति की उपलब्धता थी । प्रति व्यक्ति उपलब्धता 425 ग्राम के सिद्धान्त से अधिक होने के बावजूद भी उनका कोटा कम न करने और दिसम्बर, 1977 मे आगे उसी स्तर अर्थात् 14,031 मीटरी टन पर बनाए रखने का निश्चय किया गया था । ये तथ्य गुजरात सरकार को बता दिए गए है और कोटे मे वृद्धि करने के उनके अनुरोध को पूरा न करने के लिए खेद व्यक्त कर दिया गया है ।

2. जहा तक मध्य प्रदेश के लेवी चीनी के मासिक कोटे का सम्बन्ध है, नीति निर्णय के अनुसार 1-4-1978 का प्रायोजित जनसख्या के लिए प्रति व्यक्ति 425 ग्राम की उपलब्धता के आधार पर दिसम्बर, 1977 से 20,825 मीटरी टन निर्धारित किया गया था जब कि पहले 13,833 मीटरी टन चीनी का कोटा आवटित किया जाता था ।

Exemption of Marginal Farmers from Payment of Agricultural Loan

3514. SHRI RAJ KRISHNA DAWN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the marginal cultivators are almost on the path of ruin due to improper and unscientific price of Paddy and Jute which have been fixed by the Government;

(b) in view of the above fact whether the Government are considering

to exempt the marginal farmers from repayment of the agricultural Government loans; and

(c) if not, what other steps have been taken by Government to save the poor cultivators from complete ruin?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

एक राज्य में बनाई गई चीनी का दूसरे राज्यों में बेचा जाना

3515. श्री रामजीवन सिंह : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या कोई ऐसी नीति है जिसके अन्तर्गत एक राज्य में बनाई जाने वाली चीनी दूसरे राज्य मे बेची जाती है और दूसरे राज्यो में बनाई गई चीनी इस राज्य विशेष को बेची जाती है; और

(ख) यदि हां, तो चीनी को आवश्यक रूप से इधर उधर लाने ले जाने मे क्या औचित्य है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख). चीनी उत्पादक अधिशेष राज्यो के मामल मे राज्य में ही फैक्ट्रियो से मासिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लेवी चीनी आवंटित की जाती है। कमी वाले राज्यों के मामले में, निकटतम चीनी उत्पादक अधिशेष राज्यों में उनकी अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद इन राज्यों में उपलब्ध फालतू चीनी को ध्यान मे रख कर लेवी चीनी का आवंटन किया जाता है । यदि किसी राज्य में, जोकि अन्ततः मामूली अधिशेष होता है, फैक्ट्रियां देर से पिराई करती हैं जिससे मौसम के शुरू में उपलब्धता कम हो जाती है, आरम्भ में लेवी चीनी निकटवर्ती अधिशेष राज्यों से आवंटित की जाती है लेकिन जब उत्पादन बढ़ने लगता है, तब सारी जरूरतें राज्य में फैक्ट्रियों से पूरी की जाती है ।

2. जहां तक खुली बिक्री की चीनी का सम्बन्ध है, चीनी फैक्ट्रिया निर्मुक्त मात्रा को भारत में किसी भी स्थान पर लाइसेंस-शुदा व्यापारी को बेच सकती है ।

Central aid sought for Cyclone relief in Tamilnadu

3516. SHRI R. V. SWAMINATHAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Union Government have not given the full help that the State Government of Tamil Nadu had asked for cyclone relief, if so, the amount given last year;

(b) how much has been utilised by the State Government out of that so far;

(c) how much they had demanded during the current year and how much has been given and how this will be utilised by them; and

(d) whether State Government is not happy over the Union Government's aid which is much less than the actual need?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Government of Tamil Nadu had not asked for any assistance for cyclone relief during 1976-77. However, the State Government had requested for Central assistance of Rs. 1354.64 lakhs (Rs. 875.79 lakhs under Plan and Rs. 478.85 lakhs under non-Plan) for flood relief during 1976-77. Government had released on advance Plan assistance of Rs. 305.00 lakhs to Tamil Nadu for this purpose during 1976-77.